पानी...पानी... बच्चा मांग रहा है

निजीकरण की सरकारी नीति से आम आदमी से दूर हो रहा पानी

इस बार की गर्मियों में प्यास बहुत भारी पड़ी। दिल्ली के संगम विहार में 25 गज के अपने अधबने मकान में अम्मी, अब्बा और दो बहनों के साथ रह रहे शान को तेरह दिनों तक नहाने के लिए पानी नसीब नहीं हुआ। आठवीं में पढ़ता है वह। अब्बा चांद मुहम्मद किसी तरह पीने के पानी का ही इंतजाम कर पाए, वह भी सबकी प्यास भर नहीं। पानी खरीदना जो पड़ता है लोकल ठेकेदारों से। महीने की पांच हजार रुपये की आमदनी में पांच लोगों का पेट भरें या सिर्फ पानी पीकर गुजारा कर लें।

और शान ही क्यों, दिल्ली की तमाम गरीब कॉलोनियों में लोगों ने प्राइवेट टैंकरों से पानी खरीद कर काम चलाया जो नहीं खरीद सकते थे, उन्होंने बेपानी दिन गुजारे या किसी हमदर्द पड़ोसी से तसला भर पानी मांग लिया। कहीं-कहीं जल बोर्ड के टैंकर पहुंचते, तो कैसे भी खाली होने के पहले अपने बर्तन-भांडे भर लेने की होड़ में गाली-गलौज और तू-तू, मैं-मैं का माहौल बनते देर नहीं लगती। लेकिन सबसे खौफनाक नजारा दिल्ली की सोलह सौ उनचालीस तथाकथित अनाधिकृत बस्तियों में देखने को मिला। 8 से 10 गज की झुग्गियों में प्यास से बेदम पड़े लोगों को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। पानी खरीद भी लें तो रखने के लिए न जगह, न बर्तन। स्कूलों में छुट्टियां, बच्चे एक-एक बूंद के लिए तरस गए। स्वामी नगर में मैंने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा-चिराग दिल्ली फ्लाई ओवर के पास झुग्गियों के दो बच्चे मिट्टी की एक सुराही को किसी कोठी के एयर कंडीशनर के पाइप से रिसने वाले पानी से भरने की जुगत में घंटों लगे रहे। यह 21 जून 2012 की दोपहर का वाकया है। उस दिन भारत में सूरज सबसे देर तक रुका बताते हैं। वातानुकूलित घरों-दफ्तरों में बैठे लोग यह दृश्य देखें और गरीबों को मुफ्त पानी देने का दंभ पाल लें तो कोई अचरज नहीं। सुना, पढ़ा और टीवी पर देखा भी कि उसी दिन रियोडि जेनेरो में पर्यावरण पर बीसवां सम्मेलन हो रहा था और हरित अर्थव्यवस्था के तहत सबको पानी मुहैया करा सकने के वादे किए जा रहे थे।

अरवल के 200 किलोमीटर क्षेत्र को पिछले तीस साल की अथक मेहनत से हरा-भरा कर दिखाने वाले पानी कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह कहते हैं, 'अस्सी के दशक में मोरक्को में पानी को लेकर एक सम्मेलन हुआ था। तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि पानी भी किसी की निजी संपत्ति हो सकती है, फिर हेग सम्मेलन और धीरे-धीरे वर्ल्ड वाटर फोरम, पानी का बाजार बन गया।' जब बिरादरी, राजेंद्र सिंह का संगठन, अब तक 377 मुकदमों की मार झेल चुका है। जहां भी वे पानी के पुराने सूखे हुए स्रोत को पकड़ना चाहें, कोई न कोई सरकारी अर्द्ध सरकारी महकमा कानूनी अड़ंगा लगा देता कि अमुक बावड़ी तो सरकार की है। पूरा देश पानी के लिए तरस रहा है, चिंतित है और 43 परमाणु संयंत्र बचा-खुचा पानी लीलने को तैयार किए जा रहे हैं ताकि प्यास की कीमत पर बिजली बने और नए से नए बाजार तैयार किए जा सकें। कॉलिन गॉनसाल्वेस, जिन्होंने जनाधिकार से संबंधित कई मुकदमे उच्चतम न्यायालय में लड़े हैं, बहुत दिनों से कोर्ट में एक और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यह लड़ाई है सरकारी स्कूलों में बच्चों को पीने का पानी मुहैया कराने की।

हर साल तकरीबन 40 करोड़ बच्चे इस दुनिया में अपना पांचवां जन्मदिन नहीं देख पाते-कारण सिर्फ एक है-गंदे पानी से उपजी बीमारियां-जिसमें डायरिया सबसे ऊपर है। हाल में प्रेस के लोगों के साथ पानी पर चर्चा चल रही थी। माले की नेता कविता कृष्णन भी बातचीत में शरीक थीं। उन्होंने एक अहम बात कही, 'आमतौर पर सरकार और लोग भी, पानी को एक अधिकार के रूप में न देखकर, 'सेवा' (सर्विस) के रूप में देखते हैं, दिक्कत यहीं से शुरू होती है। 'सर्विस' है तो सरकार उसका व्यापारीकरण करेगी ही।' इससे याद आया कि कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के नाम पर सरकार पानी का निजीकरण कर रही है। सूचना अधिकार से जुड़े एक शोध-समूह ने आठ महीनों तक दिल्ली की जल-वितरण प्रणाली और पीपीपी की हकीकत का अध्ययन किया और पाया कि सरकार बिना लोगों से राय-मशविरा किए मालवीय नगर, वसंत विहार और नांगलोई में जल-वितरण, प्रबंधन और शुल्क वसूली का पूरा काम निजी कंपनियों को दे चुकी है। ये दिल्ली सरकार के निजीकरण की दिशा में पायलट प्रोजेक्ट है और हर प्रोजेक्ट पर 143 करोड़ का खर्च बैठेगा, जिसका 70 प्रतिशत हिस्सा जलबोर्ड देगा और मुनाफा बटोरेंगी निजी कंपनियां। ये परियोजनाएं चालू होते ही पानी बाजार भाव पर (जैसे अभी बिजली मिलती है) मिलने लगेगा। तो पानी फिर वही खरीद सकेगा, जिसके पास पैसा हो।

अनाधिकृत कॉलोनियों को स्थायी किए जाने के सवाल पर काम करने वाले स्लम-कार्यकर्ता आजाद इसे एक विडम्बना मानते हैं। उनका कहना है कि तकरीबन 30 प्रतिशत गरीब 'अनियोजित' (सरकार की नजर में 'अनाधिकृत') दिल्ली में रहते हैं, उन्हें तो सरकार दिल्ली का नागरिक मानने से ही इनकार करती आई है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिस पर भारत के भी हस्ताक्षर हैं, भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार (नर्मदा आंदोलन बनाम भारत सरकार) पानी हर नागरिक का मूलभूत और संवैधानिक अधिकार है। 'तो फिर यह कानूनी अधिकार क्यों नहीं?' पानी-विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर सवाल दागते हैं और खुद ही जवाब देने की कोशिश करते हैं, 'दिल्ली के पास पानी की कमी नहीं है, कमी है नीयत की।' बरसाती पानी के संग्रहण की नीति बन जाने पर भी- आज तक इसे अमलीजामा नहीं पहनाया गया। अमीर बस्तियों में 800 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी मुहैया कराया जाता है और गरीब बस्तियों में 20 लीटर से भी कम।'

नई राष्ट्रीय जल नीति भी बाजारवाद के चश्मे से ही पानी को एक उपभोग सामग्री के रूप में देखती है। मई 2012 में केंद्रीय जल मंत्री पवन कुमार बंसल संसद में पहले ही बयान दे चुके हैं कि पीपीपी के जरिए पानी के प्रबंधन, वितरण और आर्थिकीकरण में निजी कंपनियों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मतलब साफ है, पानी दिन-ब-दिन आम लोगों की पहुंच से दूर होता जाएगा। शायद ऐसे ही किसी समय के अंतराल में पानी सिर पर से भी गुजर जाए।

किरण शाहीन